निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 117 वर्ष 16-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार, को विभागीय पत्रांक 4471/लेखा-2/आ वि अ /2011-12 दिनांक 30 मार्च 2012 (1 अप्रैल 2012 से प्रभावी) के द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का अधिकार प्रदान किया गया था। इस कार्यालय की लेखा परीक्षा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ जनवरी 2013 तक संपादित की गयी थी। वर्तमान में** माह 02/2013 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सत्यबीर सिंह, लेखापरीक्षक तथा श्री राजेश कुमार सिन्हा, एवम श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री नीरज चिरंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 24.03.2017 से 25.03.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस कार्यालय की विगत वर्षो में कोई लेखा परीक्षा नहीं की गयी थी। अतः प्रथम और वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2013 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः हरिद्वार जनपद के लक्सर विकास खंड ईकाई द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	शून्य	शून्य	42.56	42.32	शून्य	शून्य	शून्य	0.23
2014-15	शून्य	शून्य	54.18	50.34	शून्य	शून्य	शून्य	3.84
2015-16	शून्य	शून्य	58.64	56.17	शून्य	शून्य	शून्य	2.47
2016-17 (11/16 तक)	शून्य	शून्य	69.25	56.61	शून्य	शून्य	शून्य	12.64

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

↓

निदेशक

↓

अपर निदेशक (02)

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार

↓

पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार,** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2014, मार्च 2015, मार्च 2016 एवं सितम्बर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1- दवाइयो के स्टॉक संधारण लेखा प्रणाली का अनुशरण ना किया जाना।

दवाओ के रख-रखाव एवं उनके ब्योरों का अभिलेखीय संधारण का सीधा संबंध पशुधन को कालातीत / अवांछित दवाए प्रदान कराने से बचाना है ताकि पशुधन एवं पशुपालको को आर्थिक / दैहिक क्षति ना हो। कालातीत / अवांछित दवाए प्रदान कराने से बचाने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि बीमा से पशुधन को वंचित ना किया जाना।

कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी के क्रियाकलाप में पशुधन दवाइयो का स्टॉक पंजिका में संधारण तथा उनका वितरण एक महत्वपूर्ण प्रणाली जिसके अनुसार स्टॉक पंजिका में केवल दवाइयो के नाम, मात्रा, प्राप्ति एवं निर्गत किए गए दवाइयो का विस्तृत विवरण ही इंद्राजित करना नहीं होता है बल्कि दवाइयो से संबन्धित दवाई की बैच संख्या, निर्माण एवं उनके कालातीत होने की तिथि भी दर्ज की जानी चाहिये। इसके साथ ही, यह भी आवश्यक **Register of expiring medicine for watching expiring date** भी संधारित किया जाना चाहिए ताकि **expired medicine** के स्थान पर **Fresh Medicine** मंगवाई जा सके तथा कालातीत हो चुके मैडिसिन के इस्तेमाल को रोका जा सके। कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार के स्टॉक पंजिका की जांच की गयी और यह पाया गया था कि दवाइयो के स्टॉक संधारण के किसी भी **parameter** का अनुशरण नहीं किया जा रहा था। कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार के अन्तर्गत तीन पशु सेवा केन्द्र का भी संचालन किया जाता है परन्तु उनके द्वारा निर्गत की गयी दवाइयो का कोई लेखा-जोखा पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार के स्तर पर संधारित नहीं किया जाता है। इस क्रम में, दवाइयो के आपूर्ति अभिलेख के नमूना जांच से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016-17 में छह **supply order** के द्वारा केन्द्रीय भण्डार, हरिद्वार से **Rs.3.58 lakh** की 169 **medicines** (जिसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है) पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार को उपलब्ध करायी गयी थी किन्तु स्टॉक पंजिका में इन दवाइयो से संबन्धित बैच संख्या, निर्माण एवं उनके कालातीत होने की तिथि को इंद्राजीत किए बगैर ही पशु पालको को वितरित कर दी गयी थी।

Consolidated Statement of cost of Medicine supplied to VMO, Luksar

Sl. No.	Date of Supply	No. of items	cost of Medicine	
A	10-01-2017	41	177697.30	
B	04-11-2016	5	36506.00	
C	08-09-2016	2	0.00	Rate not available
D	07-09-2016	28	28661.40	
E	13-08-2016	2	0.00	Rate not available
F	06-07-2016	91	115342.87	
Grand Total		**169**	**358207.57**	

पुनः कार्यालय द्वारा पशुओ की चिकित्सा के लिए दवाओ के मांग-पत्र को भी निर्गत करने की परम्परा नहीं है जिसके कारण वर्तमान में मात्र 22 दवाओ से अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर के स्टॉक पंजिका से ज्ञात होता है कि 30 ऐसी दवाइयाँ है, जिन्हे 5.12.2015 एवं 06.07.2016 के मध्य कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर को आपूर्ति की गयी थी, परंतु इनकी आपूर्ति 23.02.2016 से 17.02.2017 के बाद नहीं की गयी थी। ज्ञातव्य है कि इन दवाइयो की औसत **distribution frequency** 16.2 है जबकि अधिकतम **distribution frequency** 76 है। पुनः यह भी स्मरणीय है कि इस दौरान 16174 पशु की चिकित्सा की गयी थी।

भण्डार के नमूना भौतिक जांच में पाया गया कि एक दवाई (**Injection Ivermectin 50 ml** जिसका कंपनी **name- SMACTIN)** की 15 इकाई (**Rs. 68.00** प्रति इकाई के दर से लागत **Rs. 1020.00** है.) इस कार्यालय को आपूर्त की गयी थी परंतु इस पर न ही निर्माण तिथि है और न ही कालातीत होने की तिथि अंकित थी।

इस प्रकार, कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर द्वारा दवाओ के रख-रखाव संबन्धित पूरी प्रणाली को नज़र अंदाज़ किया गया था जिसके कारण पशुधन एवं पशुपालको को आर्थिक (गलत/ कालातीत दवा के कारण बीमा के लाभ से वंचित होने की संभावना) / दैहिक क्षति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यो को इंगित किए जाने पर, कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए स्टॉक संधारण प्रणाली सहित अधिकतर लेखा परीक्षा अवलोकन के संबंध में पशु चिकत्सा अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि भविष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। परन्तु, **Injection Ivermectin 50 ml**, जिसका कंपनी **name- SMACTIN** है, की 15 इकाई जिस पर न ही निर्माण तिथि है और न ही कालातीत होने की तिथि अंकित थी, को किस आधार पर स्वीकार किया गया था, पर कोई जबाब नहीं दिया गया था।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 2:- शासनादेश के विपरीत राज्य की योजनाओ की धनराशि को बचत खाते में जमा कर रु 25,642/= की धनराशि ब्याज का अर्जन किया जाना एवं अर्जित ब्याज की धनराशि से व्यय करना।

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश सं 99/xxvii (14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के अनुसार सरकार द्वारा राज्य की योजनाओ के पोषण हेतु भारी मात्रा में धनराशि उच्च ब्याज दर पर लेकर संबन्धित विभागो को विकास योजनाओ हेतु उपलब्ध करायी जाती है। सरकारी प्रतिष्ठानो, परिषदों, निकायों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल संबन्धित योजना में उपयोग करने के बजाय विभिन्न बैंकों में रखा गया है। शासन द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गए थे कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तो ऐसी धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ 04 में जमा किया जाए। कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच (March 2017) में देखा गया कि कार्यालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकार से योजनाओ की मदों में प्राप्त धनराशि को कार्यालय के अंतर्गत संचालित बैंक बचत खाते (CANARA BANK Account 3551101001621) में जमा कर उन पर ब्याज अर्जित किया जा रहा था। कार्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 (11/2016) तक ब्याज के रूप में रु 25,642 **हज़ार** की धनराशि अर्जित हुई तथा शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय खाते में जमा नहीं कराई गयी है। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि अर्जित ब्याज से कार्यालय के संचालन व्यय किये गए जोकि शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन था।

उपरोक्त तथ्यो को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा यह बतलाया गया कि शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

अत: राज्य विकास योजनाओ की धनराशि बैंक बचत खाते में रखा जाना व शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय खाते में जमा न किया जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II(ब)

प्रस्तर 3:- राज्य सैक्टर अहिल्याबाई होल्कर बकरी पालन योजना के अन्तर्गत उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन एवं रु 1,36,000 का गलत पशु बीमा करवाया जाना।

अहिल्याबाई होल्कर राज्य सैक्टर बकरी पालन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 182/xv-1/15/1(1)/14 दिनांक 24/2/2015 के अनुसार निम्न दिशा निर्देश कार्यालय को प्राप्त हुवे थे।

1. योजना के अनुसार उन बकरी /भेड़ो का क्रय किया जाये जो 12 से 15 माह के हों।
2. लाभार्थियो के चयन हेतु पशुधन प्रसार अधिकारी संबंधित ग्राम में व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। तथा एक तिथि निर्धारित करके खुली बैठक मे लाभार्थियो का चयन करेंगे तत्पश्चात अंतिम सूची खंड विकास अधिकारी के साथ तैयार किया जायेगा।
3. पशु का बीमा 3 साल का किया जायेगा।
4. पाँच वर्षो तक लाभार्थियो द्वारा बकरियो का विक्रय नहीं किया जायेगा।
5. योजना के अनुसार बकरियो का बाड़ा निर्माण मनेरगा से किया जाना था।

कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच (March 2017) में देखा गया कि कार्यालय द्वारा उक्त राज्य सरकार की योजन में प्राप्त धनराशि रु 3.68 लाख[1] को कार्यालय के अंतर्गत संचालित बैंक बचत खाते (CANRA BANK Account 3551101001621) में जमा कर उन पर ब्याज अर्जित किया जा रहा था । इस के अतरिक्त यह भी पाया गया कि-

- चार लाभार्थियो का चयन बिना ग्राम में व्यापक प्रचार प्रसार किये तथा बिना खुली बैठक किए ही चयन कर अंतिम सूची खंड विकास अधिकारी के साथ तैयार की गयी थी।
- कार्यालय द्वारा लाभार्थियो से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था जो उनको बाध्य करे कि वे 5 वर्षो तक बकरियो का विक्रय न कर सके ।
- योजना के अनुसार बकरियो का बाड़ा निर्माण मनेरगा से किया जाना था। जबकि उक्त का निर्माण 4 यूनिट X रु 20000= रु 80000 इसी योजना से किया गया जो कि उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन था।
- 2016-17 में दो यूनिट बकरियो रु 1,36,000[2] के किये गए बीमा में पाया गया कि बीमा कंपनी द्वारा बकरी की जगह गाय अंकित की गई है इस के अतरिक्त यह भी पाया गया की इन बकरियो की आयु भी बीमा कंपनी द्वारा गलत लिखी गयी है। जिससे भविष्य में अगर कोई पशु मर जाता है तो उक्त का दावा पास नहीं होगा तथा पशु मर जाने पर की गयी बीमा राशि प्राप्ति से लाभार्थी वंचित होगा ।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा बतलाया गया कि चार लाभार्थियो का चयन निर्देशों के आलोक में किया गया है तथा अन्य अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि कार्यवाही की जाएगी।

विभागीय उत्तर लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए अवलोकनों की पुष्टि करता है।

---

[1] □□ 1.84 □□□ □□□□□□ 123092 (03/2016) +□□ 1.84 □□□ □□□□□□ 108162 (10/2016) □□

[2] { (10+1)x2x68000= □□ 136000

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण- शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्यः- ऐसा कोई कार्य अवलोकित नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(1)	श्रीमती पुर्णिमा मिश्रा	पशु चिकित्साधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से 17/10/2013
(2)	श्री राजपाल सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	दिनांक 17/10/13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक खण्ड-2) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2